



मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

उद्योग संचालनालय
विन्ध्याचल भवन, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय

क्र०: एफ 2-6/13/अ-ग्यारह

भोपाल, दिनांक : 28/2/2013.

प्रति,

उद्योग आयुक्त,
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय-मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना।

राज्य शासन एतद द्वारा युवाओं को स्वरोजगार हेतु बैंक से सुगमतापूर्वक ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार "मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना" स्वीकृत करता है।

उक्त योजना दिनांक 1 अप्रैल, 2013 से आरम्भ होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(अनिल भारतीय)
अवर सचिव,
म.प्र. शासन,


वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

पृ०क्र०: एफ 2-6/13/अ-ग्यारह

भोपाल, दिनांक : 28/2/2013

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/वित्त विभाग/नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग/आदिम जाति कल्याण विभाग/अनुसूचित जाति कल्याण विभाग/पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, भोपाल
3. समस्त सम्भागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश
4. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
5. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, मंत्रालय प्रकोष्ठ, भोपाल



अवर सचिव,
म.प्र. शासन,

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा युवा पंचायत में की गई घोषणा के परिप्रेक्ष्य में युवाओं को स्वरोजगार हेतु बैंक से सुगमतापूर्वक ऋण प्राप्त हो सके, इस उद्देश्य से युवा स्वरोजगार योजना दिनांक 01.04.2013 से आरंभ की जा रही है। योजना का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के लिये स्वयं का उद्योग/सेवा/व्यवसाय स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है। योजनांतर्गत हितग्राहियों को मार्जिन मनी सहायता तथा ब्याज अनुदान की सुविधा दी जायेगी। उद्योग एवं सेवा उद्यमों के लिए सीजीटी-एमएसई (क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एण्ड स्माल एंटरप्राइजेस) योजनांतर्गत देय गारंटी शुल्क की राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जायेगा। योजनांतर्गत आय सीमा का कोई बंधन नहीं होगा। योजना का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश होगा।

2. योजना का क्रियान्वयन :-

योजना के क्रियान्वयन हेतु वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग नोडल विभाग होगा। योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा शहरी क्षेत्रों में वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के माध्यम से किया जायेगा।

वर्तमान में अन्य विभागों द्वारा भी विभिन्न हितग्राही मूलक स्वरोजगार योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु भिन्न-भिन्न अर्हताएं (आयु, शैक्षणिक योग्यता, आय-सीमा आदि) निर्धारित हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को दी जाने वाली सहायता, अनुदान आदि में भी भिन्नताएँ हैं। कुछ योजनाएं पूर्णतः राज्य शासन द्वारा वित्त पोषित हैं, कुछ योजनाएं पूर्णतः केन्द्र पोषित हैं, जबकि कुछ योजनाओं में राज्य शासन एवं केन्द्र शासन दोनों की भागीदारी है। प्रचलित योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित अर्हताओं के अनुसार हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाता रहेगा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत गारंटी शुल्क का भुगतान तथा ब्याज अनुदान जैसी विशिष्ट सुविधाएं दी जा रही है, अतः प्रचलित योजनाओं के अंतर्गत ऐसे हितग्राही जो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता रखते हैं, उन्हें वर्तमान सुविधाओं के अतिरिक्त इस योजना के तहत भी सुविधाएं दी जाएगी। इस प्रकार वर्तमान में संचालित विभिन्न

योजनाओं एवं इस योजना में देय सुविधा में अंतर की राशि (यदि कोई हो) आवेदक को अतिरिक्त रूप से प्राप्त होगी।

3. पात्रता :-

- 3.1 मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- 3.2 दसवीं कक्षा उत्तीर्ण।
- 3.3 आवेदन दिनांक को आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो।
- 3.4 अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/निःशक्तजन उद्यमी हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट।
- 3.5 ऋण गारंटी निधि योजना (CGT MSE) अंतर्गत गारंटी शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा केवल उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के लिये देय होगी, व्यवसाय क्षेत्र के लिये नहीं।
- 3.6 आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता/अशोधी (defaulter) नहीं होना चाहिए।
- 3.7 यदि कोई व्यक्ति ऐसी किसी अन्य सरकारी योजना के अंतर्गत पूर्व से सहायता प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगा।
- 3.8 योजनांतर्गत सहायता के लिये व्यक्ति सिर्फ एक उद्योग/सेवा/व्यवसाय हेतु ही पात्र होगा।

4. प्राथमिकता :-

- 4.1 आई.टी.आई/डिप्लोमा/इंजीनियरिंग/अन्य अधिकृत संस्थाओं द्वारा प्रदत्त माड्यूलर एम्पलायबल स्किल्स (MES) प्रमाण-पत्र।
- 4.2 गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की सर्वे सूची में अंकित हितग्राही।
- 4.3 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/निःशक्तजन।
- 4.4 उद्यमिता विकास कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षित हितग्राही।

5. वित्तीय सहायता :-

- 5.1 रूपये 50 हजार तक की परियोजना लागत की स्थिति में निम्नानुसार सहायता देय होगी :-

- 5.1.1 परियोजना लागत पर मार्जिन मनी सहायता (सिर्फ एक बार देय) – 20 प्रतिशत (अधिकतम रू. 10 हजार)
- 5.1.2 परियोजना लागत पर ब्याज अनुदान – 5 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष तक (2000 रुपये अधिकतम प्रतिवर्ष)
- 5.1.3 गारंटी शुल्क 1 प्रतिशत की दर से (एक बार देय) – अधिकतम 500 रुपये
- 5.1.4 गारंटी सेवा शुल्क 0.5 प्रतिशत की दर से (4 वर्ष हेतु) –अधिकतम 1000 रुपये
- 5.2 रुपये 50 हजार से रुपये 25 लाख तक की स्थिति में निम्नानुसार सहायता देय होगी :-
- 5.2.1 पूंजीगत लागत तथा कार्यशील पूंजी पर ब्याज अनुदान – 5 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष तक (पूंजीगत लागत पर 50 हजार रुपये अधिकतम प्रतिवर्ष तथा कार्यशील पूंजी पर 25 हजार रुपये अधिकतम प्रतिवर्ष) (अधिकतम कुल रुपये 75 हजार प्रतिवर्ष)
- 5.2.2 गारंटी शुल्क (एक बार देय) – 1 से 1.5 प्रतिशत– अधिकतम 37,500 रुपये
- 5.2.3 गारंटी सेवा शुल्क (4 वर्ष हेतु) – 0.5 से 0.75 प्रतिशत–अधिकतम 75,000 रुपये

6. आवेदन प्रक्रिया :-

- 6.1 आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/जनपद पंचायत में आवश्यक सहपत्रों सहित प्रस्तुत किया जायेगा, आवेदन पत्र निःशुल्क रहेगा।
- 6.2 सभी प्राप्त आवेदन पंजीबद्ध किये जावेंगे। अपूर्ण आवेदन पूर्ण करने हेतु जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/जनपद पंचायत द्वारा आवेदक को सूचित किया जायेगा।
- 6.3 आवेदक द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तावित गतिविधि की प्रोजेक्ट रिपोर्ट (परियोजना प्रतिवदेन) संलग्न की जायेगी।

7. आवेदन पत्रों का निराकरण :-

- 7.1 जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/जनपद पंचायत द्वारा योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन पत्र तथा परियोजना प्रतिवेदन स्वरोजगार योजनांतर्गत गठित टास्कफोर्स समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे।
- 7.2 अनुमोदन उपरांत संबंधित बैंकों को अनुशंसा के साथ प्रकरण अग्रेषित किये जायेंगे।
- 7.3 उद्योग एवं सेवा उद्यमों में गारंटी, ऋण गारंटी निधि योजना के माध्यम से दी जा रही है अतः बैंक द्वारा किसी प्रकार की कोलेटरल सिक्योरिटी (collateral security) की मांग आवेदक से नहीं की जायेगी।
- 7.4 बैंक द्वारा 30 दिवस के अंदर प्रकरण का निराकरण किया जायेगा।
- 7.5 30 दिवस में बैंक से प्रकरण के निराकरण संबंधी कोई जानकारी प्राप्त नहीं होने पर, जिला स्तर पर गठित समीक्षा समिति के समक्ष लंबित प्रकरण के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की जावेगी।

8. जिला स्तरीय समीक्षा समिति :-

- 8.1 योजना के सुचारु रूप से क्रियान्वयन हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति सतत समीक्षा करेगी।
- 8.2 समिति लंबित प्रकरणों, सहायता प्राप्त उद्यमों की स्थापना, उद्यमियों की समस्याओं एवं अन्य विषय जो समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे, की समीक्षा करेगी।
- 8.3 कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समीक्षा समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगे :-

1. कलेक्टर	अध्यक्ष
2. जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक	सदस्य
3. तीन प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों के जिला समन्वयक/प्रतिनिधि	सदस्य
4. सेडमेप/सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम संस्थान का प्रतिनिधि	सदस्य
5. जिला महिला बाल विकास अधिकारी	सदस्य
6. परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण	सदस्य

- | | |
|---|------------|
| 7. जिला रोजगार अधिकारी | सदस्य |
| 8. आई.टी.आई./पॉलिटेक्निक कालेज के प्रतिनिधि | सदस्य |
| 9. महाप्रबंधक, जिला व्यापार उद्योग केन्द्र | सदस्य-सचिव |

टीपः—आवश्यक होने पर कलेक्टर किसी भी विभाग/संस्था/बैंक के अधिकारी/प्रतिनिधि को समिति की बैठक में आवश्यकतानुसार बुला सकेंगे।

9. प्रशिक्षण :-

- 9.1 योजना अंतर्गत ऋण स्वीकृति के पश्चात उद्यमी को 3 से 10 दिवस का उद्यमिता विकास प्रशिक्षण लेना आवश्यक होगा।
- 9.2 उद्यमिता विकास कार्यक्रम में पूर्व प्रशिक्षित हितग्राही को इस योजना अंतर्गत पृथक से प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

10. ब्याज की दर एवं ऋण अदायगी :-

- 10.1 उद्यमी से बैंक द्वारा ब्याज सामान्य दर से लिया जायेगा।
- 10.2 आरंभिक स्थगन (moratorium) की अधिकतम अवधि 6 माह होगी।
- 10.3 आरंभिक स्थगन (moratorium) के बाद, ऋण अदायगी 3 से 7 वर्षों के बीच होगी।

11. वित्तीय प्रवाह :-

- 11.1 परियोजना लागत पर मार्जिन मनी सहायता, स्वीकृत परियोजना अनुसार संबंधित विभाग द्वारा बैंक को उपलब्ध कराई जायेगी। परियोजना अनुसार ऋण वितरण के पश्चात् एवं इकाई की स्थापना होने पर, बैंक शाखा मार्जिन मनी की राशि ले पायेंगे। इस हेतु एक नोडल बैंक के राज्य स्तरीय मुख्यालय पर पूल एकाउंट (Pool Account) खोलकर राशि अग्रिम तौर पर संबंधित विभाग द्वारा जमा की जायेगी। सभी अन्य बैंक योजनांतर्गत राशि की प्रतिपूर्ति, प्रकरण नोडल बैंक को भेजकर प्राप्त कर सकेंगे।
- 11.2 उद्यमी द्वारा नियमित ऋण भुगतान किये जाने पर ब्याज अनुदान का क्लेम बैंकों द्वारा नोडल बैंक में पृथक से इस आशय के खाते जिसमें विभागों द्वारा राशि अग्रिम रूप से जमा की जायेगी, से त्रैमासिक आधार पर प्राप्त किया जायेगा।

11.3 ऋण गारंटी निधि योजना अंतर्गत प्रथम वर्ष में देय गारंटी शुल्क एवं पश्चातवर्ती वर्षों में देय गारंटी सेवाशुल्क की प्रतिपूर्ति, नोडल बैंक के माध्यम से संबंधित बैंक प्राप्त कर सकेंगे।

12. विविध :-


- 12.1 योजना अंतर्गत भागीदारी के प्रकरणों पर विचार किया जा सकता है परंतु भागीदारी एक ही परिवार के सदस्य के बीच मान्य नहीं होगी। समस्त भागीदारों द्वारा योजनान्तर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों का पालन अनिवार्य होगा। सहायता उद्यम के मान से दी जायेगी।
- 12.2 औद्योगिक इकाईयों को उद्योग संवर्धन नीति 2010 (यथा संशोधित 2012) में घोषित अन्य सुविधाएं भी (पात्रता होने पर) प्राप्त हो सकेंगी।
- 12.3 बैंक से आशय समस्त राष्ट्रीकृत बैंक सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक से है, जो ऋण गारंटी निधि योजना अंतर्गत मान्य हैं।
- 12.4 गलत/भ्रामक जानकारी अथवा गलत तरीके से सहायता प्राप्त करने पर हितग्राही से समस्त राशि 10 प्रतिशत दायित्वक ब्याज सहित वसूल की जावेगी।
- 12.5 योजना अंतर्गत स्थापित उद्यम का निरीक्षण जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के अधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा। ऋण राशि का दुरुपयोग पाये जाने की स्थिति में भू-राजस्व बकाया की तरह वसूली की कार्यवाही की जा सकेगी।
- 12.6 हितग्राही द्वारा ऋण/ब्याज के पुनर्भुगतान/भुगतान में डिफाल्ट करने की स्थिति में योजनांतर्गत पूर्व में दी गयी सहायता भू-राजस्व बकाया की तरह वसूली योग्य होगी तथा उक्त परिस्थिति में भविष्य में दी जाने वाली सहायता भी देय नहीं होगी।
- 12.7 जिला स्तरीय समीक्षा समिति से प्राप्त संदर्भ राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी में विचार हेतु रखे जावेंगे।
- 12.8 योजना की व्याख्या/संशोधन हेतु वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग सक्षम होगा।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना
(₹ 50 हजार तक की परियोजना हेतु आवेदन-पत्र)

1. आवेदक का पूरा नाम
2. पिता/पति का नाम
3. अ. निवास स्थान एवं पत्राचार पूर्ण पता

ब. दूरभाष/मोबाईल नम्बर
स. प्रस्तावित इकाई स्थल का पता

द. इकाई का दूरभाष/मोबाईल नम्बर
4. शैक्षणिक योग्यता
(प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
5. तकनीकी योग्यता/अनुभव
जैसे आई.टी.आई./डिप्लोमा/इंजीनियरिंग/
अन्य अधिकृत संस्थाओं द्वारा प्रदत्त माड्यूलर
एम्प्लायबल स्किल्स (MES) प्रमाणपत्र
(यदि कोई हो, प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
6. अ. जन्म तिथि
(प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
ब. आवेदन दिनांक को उम्र
7. अ. आवेदक की श्रेणी
(अ.जा./अ.ज.जा./ओ.बी.सी./
अल्पसंख्यक/निःशक्तजन)
(प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
ब. लिंग (पुरुष/महिला)



वर्ष.....माह.....दिन.....

8. अ. प्रस्तावित गतिविधि का नाम
(परियोजना प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करें)
- ब. परियोजना का प्रकार
(विनिर्माण इकाई/सेवा इकाई/व्यवसाय)
9. अ. परियोजना लागत
- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. भूमि/भवन (स्वयं/किराये पर) | ₹ |
| 2. मशीन/उपकरण/साज-सज्जा | ₹ |
| 3. कार्यशील पूंजी | ₹ |
| योग | ₹ |
- ब. प्रस्तावित वित्तीय प्रबंध
- | | |
|--|---|
| 1. मार्जिनमनी सहायता
(परियोजना लागत का 20 प्रतिशत
अथवा ₹ 10,000 , जो भी कम हो) | ₹ |
| 2. बैंक से अपेक्षित ऋण राशि | ₹ |
| योग | ₹ |
10. प्रस्तावित बैंक शाखा का नाम जहाँ हितग्राही अपना ऋण प्रकरण भेजना चाहता हो 1.
2.
11. उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तो उसका विवरण (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
12. पूर्व में शासन की ऐसी किसी योजना का लाभ लिया हो अथवा लाभ प्राप्त किया जा रहा हो तो उसका विवरण।
13. अन्य कोई विवरण

आवेदक का नाम
एवं हस्ताक्षर

घोषणा

मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण बिन्दु क्रमांक 1 से 13 तक सत्य है और मेरे द्वारा कोई संगत तथ्य छिपाया नहीं गया है।

आवेदक का नाम
एवं हस्ताक्षर

आवेदन-पत्र में संलग्न किये जाने वाले सहपत्रों की सूची

1. परियोजना प्रतिवेदन (संलग्न प्रारूप में)
2. राशन कार्ड/स्थाई निवास प्रमाण-पत्र/मतदाता पहचान-पत्र/ड्रायविंग लाईसेंस (कोई भी एक)
3. शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र
4. जन्मतिथि संबंधी प्रमाण-पत्र
5. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तजन संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो)
6. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो)
7. उद्यमी विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो)
8. भूमि/भवन किराये पर हो तो किराया-नामा
9. मशीनरी/उपकरण/साज-सज्जा हेतु वर्तमान दरों के कोटेशन
10. अन्य

परियोजना – प्रपत्र

(₹ 50 हजार तक के उद्योग/सेवा परियोजना हेतु)

1. आवेदक का नाम व पता :
2. उद्योग/सेवा उद्यम का नाम व पता :
3. उत्पाद/सेवा का नाम व परिचय एवं बाजार में मांग की संभावना :

4. प्रस्तावित क्षमता (मासिक)

क्र.	नाम वस्तु/सेवा कार्य	परिमाण	मूल्य
1			
2			
3			
योग			

5. पूंजी विनियोजन :-

अ. स्थिर पूंजी

(i) भूमि/भवन (स्वयं की/किराये पर) :

(ii) मशीन एवं साज-सज्जा

क्र.	मशीन/साज-सज्जा	परिमाण	मूल्य
1			
2			
3			
4			
योग			

ब. कार्यशील पूंजी

(i) कच्चा माल

क्र.	कच्चे माल का नाम	परिमाण	मूल्य
1			
2			
3			
4			
योग			

(ii) वेतन एवं मजदूरी

क्र.	विवरण	संख्या	अनुमानित वेतन
1	व्यवस्थापक		
2	कुशल कारीगर		
3	अकुशल कारीगर		
4	अन्य		
योग			

(iii) अन्य व्यय

क्रमांक	विवरण	अनुमानित व्यय
1	ऑफिस / स्टेशनरी / विज्ञापन	
2	विद्युत / पानी	
3	किराया	
4	अन्य आकस्मिक व्यय	
योग		

6. कार्यशील पूंजी का योग (i+ii+iii) : ₹
7. उत्पादन लागत प्रतिमाह
- (i) कार्यशील पूंजी : ₹
- (ii) मशीन आदि पर घिसावट : ₹
- (स्थिर पूंजी का 10 प्रतिशत)
- (iii) कुल पूंजी पर ब्याज : ₹
- योग : ₹
8. लाभ/हानि प्रतिमाह
- (i) सेवा/उत्पादन विक्रय से आय : ₹
- (ii) उत्पादन लागत (-) : ₹
- शुद्ध-लाभ : ₹
9. वित्तीय आवश्यकताएं
- (i) स्थिर पूंजी हेतु : ₹
- (ii) कार्यशील पूंजी हेतु : ₹
- योग : ₹
10. आवश्यक वित्तीय प्रबंध
- (i) मार्जिनमनी सहायता : ₹
- (ii) बैंक से ऋण : ₹
- योग : ₹
11. ऋण पुनर्भुगतान अवधि (मासिक/त्रैमासिक)

आवेदक का नाम एवं
हस्ताक्षर

परियोजना – प्रपत्र

(₹ 50 हजार तक के व्यवसाय परियोजना हेतु)

1. आवेदक का नाम व पता :.....
2. व्यवसाय का नाम व पता :.....
3. प्रस्तावित व्यवसाय की संभावना :.....
.....
.....

4. पूंजी विनियोजन :-

अ. स्थिर पूंजी

(i) भूमि/भवन (स्वयं की/किराये पर) :.....

(ii) दुकान एवं साज-सज्जा

क्रमांक	विवरण	परिमाण	मूल्य
1			
2			
3			
4			
योग			

ब. कार्यशील पूंजी

(i) व्यवसाय हेतु सामग्री

क्रमांक	सामग्री का नाम	परिमाण	मूल्य
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

क्रमांक	सामग्री का नाम	परिमाण	मूल्य
12			
13			
14			
15			
योग			

(ii) अन्य व्यय

क्रमांक	विवरण	अनुमानित व्यय
1	स्टेशनरी / विज्ञापन / पोस्टेज	
2	विद्युत / पानी	
3	किराया	
4	मजदूरी	
5	अन्य आकस्मिक व्यय	
6	पूजी पर ब्याज आदि	
योग		


5. कार्यशील पूंजी का योग (i+ii) : ₹
6. लाभ / हानि प्रतिमाह
- (i) व्यवसाय की औसत विक्री से लाभ : ₹
- (ii) व्यवसाय पर खर्च (-) : ₹
- शुद्ध-लाभ : ₹
7. वित्तीय आवश्यकताएं
- (i) स्थिर पूंजी हेतु : ₹
- (ii) कार्यशील पूंजी हेतु : ₹
- योग : ₹
8. आवश्यक वित्तीय प्रबंध
- (i) मार्जिनमनी सहायता : ₹
- (ii) बैंक से ऋण : ₹
- योग : ₹
9. ऋण पुनर्भुगतान अवधि
(मासिक / त्रैमासिक)

आवेदक का नाम एवं
हस्ताक्षर

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

(₹ 50 हजार से अधिक ₹ 25 लाख तक की परियोजना हेतु आवेदन-पत्र)

1. आवेदक का पूरा नाम
2. पिता/पति का नाम
3. अ. निवास स्थान एवं पत्राचार पूर्ण पता
ब. दूरभाष/मोबाईल नम्बर
स. प्रस्तावित इकाई स्थल का पता
द. इकाई का दूरभाष/मोबाईल नम्बर
4. शैक्षणिक योग्यता
(प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
5. तकनीकी योग्यता/अनुभव
जैसे आई.टी.आई./डिप्लोमा/इंजीनियरिंग/
अन्य अधिकृत संस्थाओं द्वारा प्रदत्त माड्यूलर
एम्प्लायबल स्किल्स (MES) प्रमाणपत्र
(यदि कोई हो, प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
6. अ. जन्म तिथि
(प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
ब. आवेदन दिनांक को उम्र
7. अ. आवेदक की श्रेणी
(अ.जा./अ.ज.जा./ओ.बी.सी./
अल्पसंख्यक/निःशक्तजन)
(प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
ब. लिंग (पुरुष/महिला)



वर्ष.....माह.....दिन.....

8. अ. प्रस्तावित गतिविधि का नाम
(परियोजना प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करें)
- ब. परियोजना का प्रकार
(विनिर्माण इकाई/सेवा इकाई/व्यवसाय)
9. अ. परियोजना लागत
- | | |
|--------------------------------|---|
| (i) भूमि/भवन (स्वयं/किराये पर) | ₹ |
| (ii) मशीन/उपकरण/साज-सज्जा | ₹ |
| (iii) कार्यशील पूंजी | ₹ |
| योग | ₹ |
- ब. प्रस्तावित वित्तीय प्रबंध
- | | |
|------------------------------|---|
| (i) आवेदक की मार्जिन मनी | ₹ |
| (ii) अपेक्षित टर्म लोन | ₹ |
| (iii) कार्यशील पूंजी हेतु ऋण | ₹ |
| योग | ₹ |
10. प्रस्तावित बैंक शाखा का नाम जहाँ हितग्राही अपना ऋण प्रकरण भेजना चाहता है
1. _____
2. _____
11. उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तो उसका विवरण (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
12. पूर्व में शासन की ऐसी किसी योजना का लाभ लिया हो अथवा लाभ प्राप्त किया जा रहा हो तो उसका विवरण।
13. अन्य कोई विवरण

आवेदक का नाम
एवं हस्ताक्षर

घोषणा

मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण बिन्दु क्रमांक 1 से 13 तक सत्य है और मेरे द्वारा कोई संगत तथ्य छिपाया नहीं गया है।

आवेदक का नाम
एवं हस्ताक्षर

आवेदन-पत्र में संलग्न किये जाने वाले सहपत्रों की सूची

1. विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन
2. राशन कार्ड/स्थाई निवास प्रमाण-पत्र/मतदाता पहचान-पत्र/ड्रायविंग लाईसेंस (कोई भी एक)
3. शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र
4. जन्मतिथि संबंधी प्रमाण-पत्र
5. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तजन संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो)
6. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो)
7. उद्यमी विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो)
8. भूमि/भवन किराये पर हो तो किराया-नामा
9. मशीनरी/उपकरण/साज-सज्जा हेतु वर्तमान दरों के कोटेशन
10. अन्य